



2026:AHC:129181

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18363/2026

तसलीम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 3

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : फैजुर रहमान, फूलबदन यादव

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, विद्वान ए.जी.ए. ने बताया कि प्रथम सूचनाकर्ता को सूचना भेजी जा चुकी है। सूचना प्राप्त होने के बावजूद, प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
3. जमानत आवेदन बी.एन.एस. की धारा 137(2), 64(1), 351(2), 115(2), 333 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4, पुलिस थाना - हसनपुर, जिला- अमरोहा के तहत मुकदमा अपराध संख्या 79/2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। पीड़िता ने खुद को नाबालिग बताया था, लेकिन अस्थिकरण परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार वह बालिग थी। अमरोहा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राय दी कि चिकित्सीय परीक्षण के समय पीड़िता की उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच थी। आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता ने अपनी सहमति से यह संबंध बनाया था और आवेदक के साथ उसका आपसी सहमति का संबंध था। पीड़िता ने स्वीकार किया है कि उसने पहली बार बलात्कार की शिकायत तब की जब उसके पिता ने उसे आवेदक के साथ रंगे हाथों पकड़ा। आगे यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता ने झूठा आरोप लगाया कि 15-16 दिन पहले आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया था, लेकिन उसने इस मामले की सूचना किसी को नहीं दी थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसने अपनी सहमति से यह संबंध बनाया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि कथित घटना के समय पीड़िता ने कोई हंगामा नहीं किया था। यह भी तर्क दिया गया कि पीड़िता के बयान के अनुसार उसको शरीर पर कोई चोट नहीं आई थी और, आवेदक के पास कोई घातक हथियार नहीं था। प्रतिरोध करने पर उसे चोटें आनी चाहिए थीं। पीड़िता के शरीर पर चोट न होने से अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से झूठा साबित होता है। आवेदक का आपराधिक इतिहास अनुपूरक शपथपत्र में अत्यंत स्पष्ट से बताया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 24.02.2026 से कारागार में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के विरुद्ध अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, आपराधिक पृष्ठभूमि के स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध कर दिया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है ।

7. उपर्युक्त मामले में अपराध के आरोपी आवेदक **तसलीम** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित दिनांक पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित दिनांक पर, स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त हेतुक के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, उसके विरुद्ध विचारण न्यायालय धारा 229-ए आईपीसी/269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआर.पी.सी./ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित दिनांक पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी / 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को (1) सुनवाई शुरू होने, (2) आरोप तय होने और (3) धारा 313 सीआर.पी.सी./ 351 बी.एन.एस.एस. के तहत कथन का अभिलेखन करने के लिए निर्धारित दिनाकों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त हेतुक के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायधीश को साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

25 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।